



न्यायालय राजस्व मण्डल ग्वालियर, केम्प उज्जैन (म.प्र.)

प्रकरण क्रमांक / 2015 निगरानी

क्रमांक 2637-15/15

अजयशंकर तिवारी (अ.)

शिव नाथ, उज्जैन (म.प्र.)

हरिप्रसाद पिता बोन्दर कौरकु निवासी
- बरबई तह, खातेगाँव जिला देवास
(म.प्र.) ---निगरानीकर्ता

विरुद्ध

दिनेश विश्णोई पिता गजानन्द
निवासी-ग्राम खिरनीखेड़ा तह,
खातेगाँव जिला देवास (म.प्र.)
---रेस्पान्डेंट

श्री अजय शंकर तिवारी कृप. द्वारा दिनांक 10.8.15 को प्राप्त।

निगरानी आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 50 भू.रा.सं.

माननीय महोदय,

अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार माहोदय खातेगाँव जिला देवास द्वारा प्रकरण क्रमांक 09/ अ-70 / 2013-14 में पारित आदेश दिनांक 17-07-2015 से असन्तुष्ट होकर यह निगरानी निगरानीकर्ता की ओर से सादर प्रस्तुत हैं :-

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 2637-तीन/15 हरीप्रसाद/दिनेश जिला देवास

प्रकरण क्रमांक स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभियन्तों आदि के हस्ताक्षर
7-6-2016	<p>आवेदक की ओर से प्रस्तुत निगरानी में उल्लेखित आधारों के परिप्रेक्ष्य में तहसीलदार के आदेश दिनांक 17-7-2015 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया। उक्त आदेश से तहसीलदार द्वारा आवेदक की ओर से म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 51 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन अस्वीकार किया गया है, जिसमें प्रथम दृष्टया कोई अवैधानिकता परिलक्षित नहीं होने से यह निगरानी अग्राह्य की जाती है।</p>	<p>(मनोज गोयल) अध्यक्ष</p>